

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ4(ई) (एस-243/90)अलेसे-III/8850-53

दिनांक:- 08.07.13

कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के आदेश संख्या 146/2013-14 दिनांक 08.07.2013 के द्वारा श्री सुरेश कुमार महर्षि, क0लेखाकार (लिंग न0 5724) का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में किया गया था किन्तु श्री महर्षि, क0लेखाकार द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश की आदिनांक तक पालना नहीं की गई है ।

अतः श्री सुरेश कुमार महर्षि, क0लेखाकार कार्यालय अति. निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नौमील मण्डोर (जोधपुर) को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि वे नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस विभाग में भिजवाये ।


निदेशक
(विरवाला जोशी)
निदेशक, कोष एवं लेखा

क्रमांक:- एफ4(ई) (एस-243/90)अलेसे-III/8850-53

दिनांक:- 06.09.13

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 अति. निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नौमील मण्डोर (जोधपुर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुरेश कुमार महर्षि, क0लेखाकार को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त कार्यमुक्त करें ।
- 2 कोषाधिकारी, (ग्रामीण/शहर) जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री महर्षि, क0लेखाकार का कार्यालय अति. निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नौमील मण्डोर (जोधपुर) से वेतन आहरण नहीं किया जावे ।
- 3 श्री सुरेश कुमार महर्षि, क0लेखाकार कार्या0 अति. निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नौमील मण्डोर (जोधपुर) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अविलम्ब उक्त आदेशों की पालना करके कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब प्रेषित करे ।
- 4 निजी सहायक निदेशक कोष एवं लेखा ।
- 5 कम्प्यूटर शाखा/पदस्थापन सीट /निजी पत्रावली /रक्षित पंजिका ।


अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-II]